## प्ररूप-36

## [नियम 24(5)]

## प्रायोजक के स्थापन का आदेश

	श्री	तथा / अथवा श्रीमती	का,	′की पुत्र अथवा पुत्री
	को शिक्षा / र	स्वास्थ्य / पोषण अन्य विकासात्म	नक जरूरतों	(कृपया
विनिवि	ईष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की ज	रूरत वाले बालक के रूप में अभि	मेनिर्धारित किया गया हैं।	जिला बाल संरक्षण
इकाई	को एतद्वारा उक्त बालक को	(दिवस / मास) की अ	वधि के लिए एक बार की	प्रायोजक सहायता
के रूप	मेंरुपये प्रति मा	स/ रूपये ी	निर्मुक्त करने और आवश्य	क अनुवर्ती कार्रवाई
करने वे	के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए	बालक के नाम	पर एक बैंक खा	ता खोलने जिसका
संचाल	न किया	जाएगा, का निर्देश दिया जाता	है।	

बाल न्यायालय / मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति